Toppersnotes®
Unleash the topper in you

राजस्थान

अधिशाषी/राजस्व अधिकारी (EO/RO)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

भाग - 3

भारत एवं राजस्थान की राजव्यवस्था, नगरपालिका अधिनियम, 2009

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	संविधान सभा	1
2	संविधान की विशेषताएँ	2
3	संवैधानिक संशोधन	4
4	प्रस्तावना	6
5	मौलिक अधिकार	7
6	राज्य के नीति–निदेशक तत्व	11
7	मूल कर्त्तव्य	12
8	संघ सरकार (राष्ट्रपति)	13
9	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	17
10	संसद	20
11	उच्चतम न्यायालय	25
12	चुनाव आयोग	30
13	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक	31
14	नीति आयोग	32
15	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	34
16	लोकपाल	35
17	केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)	36
18	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	38
19	संघवाद	41
20	गठबंधन सरकार	44
21	राष्ट्रीय एकीकरण	45
22	राज्यपाल	47
23	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	53

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	राज्य विधानमंडल	60
25	उच्च न्यायालय	69
26	राजस्थान का जिला प्रशासन	75
27	स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज	83
28	राजस्थान के संवैधानिक निकाय	94
29	राजस्थान के गैर–संवैधानिक निकाय	98
30	विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र	105
31	राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011	109
32	नगरपालिकाओं का गठन और शासन (धारा 3–50)	111
33	कार्य संचालन और वार्ड समिति (धारा 51–66)	122
34	नगरपालिक संपत्ति (धारा 67–75)	127
35	नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि (धारा 76–89)	129
36	नगरपालिक राजस्व (धारा 101–140)	131
37	नगरपालिका विकास और नगर योजना (धारा 159–199)	136
38	नगरपालिक शक्तियां और अपराध (धारा 200–297)	143
39	अभियोजन, वाद आदि (धारा 298–308)	155
40	नियंत्रण (धारा 309–327)	157
41	राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं	160
42	राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009	181
43	राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियाँ, कर्त्तव्य और कार्य) नियम, 2009	184
44	राजस्थान नगरपालिकाए (सामान क्रय एवम् अनुबंध) नियम, 1974	186

1 CHAPTER संविधान सभा

- संविधान बनाने का काम करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है।
- कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
- इसमें अध्यक्ष – सर पैंथिक लॉरेन्स
- दो अन्य सदस्य – ए.वी. एलैक्जेण्डर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए थे – 389
- ब्रिटिश प्रान्तों से – 292
- कमिश्नरी प्रान्तों से – 4
- देशी रियासतों से – 93
- मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण संविधान सभा में 324 सदस्य ही रहे।
- 9 दिसम्बर, 1946 को पहली बैठक में सदस्य – 207
  - कुल महिलाएँ – 15
  - पहली बैठक में – 9
- 15 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में 299 सदस्य रहे।
- अन्तिम बैठक में हस्ताक्षर – 284 सदस्यों ने किये।
- संविधान सभा के अस्थाई सदस्य – डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
- संविधान सभा के स्थाई सदस्य – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (13 दिसम्बर, 1946)

  नोट –
  - सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
  - उन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
  - इसमें 6+1 (अध्यक्ष) सदस्य थे।

प्रारूप समिति के सदस्य

अध्यक्ष – डॉ. भीमराव अम्बेडकर
सदस्य –

1. एन. गोपाल स्वामी आयंगर
2. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
3. कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी
4. मोहम्मद सादुल्ला
5. एन. माधव राव (इन्हें बी.एल. मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया)
6. डी.पी. खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया)

संविधान सभा की समितियाँ	अध्यक्ष
1. संघ संविधान समिति, राज्य समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू
2. प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
3. संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
4. झंडा समिति	जे. बी. कृपलानी
5. परामर्श समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
6. मूल अधिकार उप समिति	जे. बी. कृपलानी
7. अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी

- सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
- 15 अगस्त, 1947 को डॉ. अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री बने। प्रारूप समिति के समक्ष 7635 संशोधन प्रस्तुत किये गये।
- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इस दिनांक का उल्लेख प्रस्तावना में है, जबकि सम्पूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव – पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर, 1946 में 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया।

विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान

- सरकार का संसदीय स्वरूप
- कानून का शासन
- एकल नागरिकता
- विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका

→ ब्रिटिश संविधान से

- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था

→ आयरलैण्ड के संविधान से

- मौलिक अधिकारों की सूची
- न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति
- संविधान की सर्वोच्चता
- निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग
- उपराष्ट्रपति का पद

→ अमेरिका से

- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त
- गणतन्त्र

→ फ्रांस से

- सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था
- अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त
- मूल कर्त्तव्य – सोवियत संघ (रूस) से

→ कनाडा से

- शोषण के विरूद्ध अधिकार
  - अनुच्छेद (24)

→ यूगोस्लाविया से

2 CHAPTER संविधान की विशेषताएँ

- संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी।
- भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सबसे बड़ा संविधान है।
- वर्तमान समय में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ

भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसके क्षेत्र	1- 4
II	नागरिकता	5 - 11
III	मौलिक अधिकार	12 - 35
IV	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत	36 - 51
IV-A	मौलिक कर्तव्य	51(A)
V	केंद्र सरकार	52 - 151
	अध्याय I - कार्यपालिका	52 - 78
	अध्याय II - संसद	79 - 122
	अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ	123
	अध्याय IV - संघ की न्यायपालिका	124 - 147
	अध्याय V - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	148 - 151
VI	राज्य सरकारें	152 - 237
	अध्याय I - सामान्य	152
	अध्याय II - कार्यपालिका	153 - 167
	अध्याय III - राज्य विधानमंडल	168 - 212
	अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ	213
	अध्याय V - उच्च न्यायालय	214 - 232
	अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	233 - 237
VII	राज्यों से सम्बंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (7 वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त)	238 निरस्त
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 - 242
IX	पंचायतें	243 - 243(O)
IX-A	नगर पालिकाएं	243(P) - 243(ZG)
IX-B	सहकारी समितियां	243(ZH) - 243(ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 - 244(A)
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
	अध्याय I - विधायी संबंध	245 - 255
	अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	256 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 – 300(A)
	अध्याय I - वित्त	264- 291
	अध्याय II - ऋण लेना	292 -293
	अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और वाद	294- 300
	अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	300-A
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 -307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 -323
	अध्याय I - सेवाएं	308 -314
	अध्याय II - लोक सेवा आयोग	315- 323
XIV-A	अधिकरण	323(A) - 323(B)
XV	निर्वाचन	324 - 329(A)
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 - 342
XVII	राजभाषा	343 -351
	अध्याय I - संघ की भाषा	343- 344
	अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ	345 -347
	अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	348 -349
	अध्याय IV- विशेष निदेश	350 -351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 -360
XIX	विविध (प्रकीर्ण)	361 -367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393-395

- अनुसूचियां संविधान में वे सूचियां हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

संख्या	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार (सीमाएँ)।
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियों पर भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान
	1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तीसरी अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
	1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I. (संघ सूची), सूची II. (राज्य सूची) और सूची III. (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वे हैं - असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282)। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती हैं।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 18 विषय हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

- 61वें संवैधानिक संशोधन – (1989) में मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निश्चित की गई है।
- 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम–2002 में खण्ड (ञ) जोड़ा गया जिसमें अभिभावकों का यह कर्त्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार अब 11 मूल कर्त्तव्य है।
- **नोट –** अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है।

31 CHAPTER राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

- राजस्थान सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर, 2011 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया।
- इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करना है।
- प्रारंभ में इसमें 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। इसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई और सेवा में चूक या देरी करने वाले अधिकारियों के लिए नकद जुर्माने का प्रावधान किया गया।
- वर्तमान में, अधिनियम के तहत 18 विभागों की 153 सेवाएँ शामिल है, जिसमें स्थानीय स्वशासन विभाग की 11 सेवाएं भी शामिल हैं।
- मध्यप्रदेश इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था, जिसने 18 अगस्त, 2010 को इसे लागू किया।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने लोक सेवा के अधिकार अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की थी।
- राजस्थान भारत का पहला राज्य था, जिसने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी करने पर दंड लगाने का प्रावधान किया।

लोक सेवा का अधिकार

- भारत में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम ऐसे वैधानिक कानून हैं, जो नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध वितरण की गारंटी देते हैं और निर्धारित सेवाओं को प्रदान करने में कमी के लिए संबंधित अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान करते हैं।
  - इसलिए, यह अधिनियम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है।
- यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।
  - इस प्रकार, इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- यह सुशासन को प्रोत्साहित करेगा और सार्वजनिक संगठनों में प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाएगा।

नोडल विभाग

- राजस्थान सरकार में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग (ARD) प्रशासनिक सुधारों और राज्य से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह विभाग अन्य राज्यों के साथ प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कार्य का समन्वय करता है।

उद्देश्य

1. यह अधिनियम सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक/लोक सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी देता है।
2. यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए दंडात्मक प्रावधान करता है जो निर्दिष्ट समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।

प्रावधान

- इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक अधिसूचित विभाग एक कर्मचारी नियुक्त करेगा, जो अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- अधिकृत कर्मचारी आवेदक को लिखित में प्राप्ति रसीद (पावती) देंगे और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के लिए समय सीमा का उल्लेख करेंगे।
- सेवा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी और यदि सेवा में देरी होती है या सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारी देरी का कारण, अपील की समय सीमा और अपीलीय अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख करेगा।
- समय सीमा की गणना में सार्वजनिक छुट्टियां शामिल नहीं होंगी।
- नामित अधिकारी नोटिस बोर्ड पर सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी जनता के लिए प्रदर्शित करेंगे।
  - इसमें सेवा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों का उल्लेख भी किया जाएगा।
- प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- आवेदक निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है।
  - प्रथम अपीलीय प्राधिकरण या तो संबंधित उप-अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश देगा या अपील को अस्वीकार करेगा।
- प्रथम अधिकारी के निर्णय की दिनांक से 60 दिनों के भीतर के उसके खिलाफ द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।
- अपीलों के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा कुछ मामलों में एक घंटे से लेकर 24 घंटे तक हो सकती है, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित अपील, और यह वांछित सेवा के आधार पर 45 दिनों तक बढ़ सकती है।

नामित प्राधिकारी
अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
निर्णय के 60 दिनों के भीतर

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी

दंड

- यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि उप-अधिकारी उचित कारणों के बिना वांछित सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, तो वह 500 रुपये से अधिक और 5000 रुपये से कम का दंड लगा सकता है। इसके अतिरिक्त, वह 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड भी लगा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये है।
- यह राशि द्वितीय अपील अधिकारी के आदेशानुसार आवेदक को मुआवजे के रूप में दी जा सकती है।

समीक्षा

- **CAG रिपोर्ट-2017** के अनुसार, केवल 70 मामले प्रथम अपील के लिए और 2 मामले द्वितीय अपील के लिए पंजीकृत हुए थे, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।
- इसके अतिरिक्त, **ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली जून, 2014 से बंद कर दी गई है।**
- वर्तमान में सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी प्रणाली या तंत्र अस्तित्व में नहीं है (CAG रिपोर्ट)।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

32 CHAPTER नगरपालिकाओं का गठन और शासन (धारा: 3-50)

धारा: 3 - नगरपालिकाओं का परिसीमन

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर, निम्न कार्य कर सकती है:
- किसी ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना, जो पहले से किसी नगरपालिका में शामिल नहीं है।
- किसी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित करना।
- किसी क्षेत्र को किसी नगरपालिका से बाहर करना।
- किसी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन करना।

निम्नलिखित स्थिति में सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है:

(क) कोई क्षेत्र नगरपालिका घोषित हो या उसमें सम्मिलित हो।
(ख) कोई क्षेत्र नगरपालिका से बाहर हो।
(ग) किसी नगरपालिका की सीमाओं का परिवर्तन हो (जैसे कि दो नगरपालिकाओं का विलय, या किसी नगरपालिका का विभाजन)।
(घ) कोई क्षेत्र नगरपालिका रहित हो।

इन परिस्थितियों में राज्य सरकार निम्नलिखित उपबंध कर सकती है, चाहे यह अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियां कुछ भी कहती हों:

1. **खंड (क):** नए या विस्तारित क्षेत्र के लिए सदस्यों का चुनाव छह महीने के भीतर कराया जाएगा।
2. **खंड (ख):** जो सदस्य नगरपालिका से हटाए गए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हटाया जाएगा।
3. **खंड (ग):**
   - यदि किसी नगरपालिका में अन्य नगरपालिका का विलय होता है, तो विलय की गई नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नई नगरपालिका के सदस्य माने जाएंगे।
   - यदि कोई नगरपालिका विभाजित होती है, तो विभाजित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नई नगरपालिकाओं के सदस्य माने जाएंगे।
   - नई नगरपालिकाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक मूल नगरपालिका का अस्तित्व है (जब तक उन्हें भंग नहीं किया जाता)।
4. **खंड (घ):** ऐसी स्थिति में संबंधित नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा।

अन्य प्रावधान -

- **नगरपालिका सीमाओं का निर्धारण और रखरखाव**:
  - प्रत्येक नगरपालिका (पहले से मौजूद या नई) का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट और चिन्हित करने के लिए सीमा चिह्न स्थापित करे और उन्हें बनाए रखे। यह काम नगरपालिका के खर्चे पर किया जाएगा, और इसे जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी की मंजूरी से पूरा किया जाएगा।
- **नियमों की निरंतरता:**
  - यदि कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका में जोड़ा जाता है, तो पुराने नियम और उप-विधियां तब तक लागू रहेंगे, जब तक राज्य सरकार नए निर्देश जारी नहीं करती।
- **गांव का नगरपालिका में शामिल होना:**
  - यदि किसी गांव को नगरपालिका में जोड़ा जाता है:
    - वह गांव अब गांव नहीं रहेगा।
    - वहां की पंचायत काम करना बंद कर देगी।
    - पंचायत के सदस्य (सरपंच, उप-सरपंच) नगरपालिका के सदस्य माने जाएंगे।
    - पंचायत की संपत्ति और दायित्व नगरपालिका को स्थानांतरित हो जाएंगे।
    - यह क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों से बाहर हो जाएगा।
- **राज्य सरकार के विशेष अधिकार:**
  - राज्य सरकार आवश्यकतानुसार निर्देश जारी कर सकती है, जिससे इन प्रावधानों को लागू करना आसान हो।

धारा:- 4 नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की शक्ति:

- **राज्य सरकार की छूट देने की शक्ति:**
  - राज्य सरकार किसी नगरपालिक बोर्ड को, अगर किसी अधिनियम का कोई उपबंध उसके लिए अनुपयुक्त लगता है, तो उसे उस उपबंध से छूट दे सकती है।
    - यह छूट अधिसूचना द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करके दी जाएगी।
    - जब तक यह छूट लागू रहती है, तब तक वह उपबंध नगरपालिक बोर्ड पर लागू नहीं होगा।
- **छूट के दौरान नियम बनाने का अधिकार:**
  - जब तक उप-धारा (1) के तहत छूट लागू है, राज्य सरकार उन उपबंधों से संबंधित मामलों के लिए नियम बना सकती है, ताकि क्षेत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।

धारा: - 5 नगरपालिका की स्थापना और निगमन:

- **संक्रमणशील क्षेत्रों में नगरपालिक बोर्ड की स्थापना:**
  - प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र (छोटे या उभरते शहर) में एक नगरपालिक बोर्ड बनाया जाएगा।
  - यह बोर्ड निगमित निकाय होगा।
  - इसे स्थायी उत्तराधिकार (perpetual succession) और एक सामान्य मुहर (common seal) प्राप्त होगी।
  - अपने नाम से यह कानूनी मामलों में पक्षकार बन सकता है (वाद चला सकता है या वाद झेल सकता है)।
- **लघुतर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना:**
  - छोटे शहरों (लघुतर नगरीय क्षेत्र) में एक नगर परिषद बनाई जाएगी।
  - इसे भी निगमित निकाय का दर्जा मिलेगा और इसका कानूनी अधिकार और उत्तराधिकार वैसा ही होगा जैसा नगरपालिक बोर्ड का होता है।
- **वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना:**
  - बड़े शहरों (वृहत्तर नगरीय क्षेत्र) में एक नगर निगम स्थापित किया जाएगा।
  - यह नगर निगम भी निगमित निकाय होगा और इसे कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।(नगरपालिक के समान)
- **विशेष क्षेत्रों के लिए छूट:**
  - किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित किया जा सकता है, अगर उसमें औद्योगिक सेवाओं का महत्व अधिक हो।
  - राज्य सरकार, किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, या पर्यटन की विशेषता को देखते हुए, उस क्षेत्र को नगरपालिका से अलग कर सकती है और वहां विकास प्राधिकरण बना सकती है।
  - यह प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करेगा।

धारा: - 6 नगरपालिका की संरचना:

- **वार्ड और निर्वाचन प्रक्रिया:**
  - नगरपालिका के क्षेत्र को "वार्ड" नामक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।
  - प्रत्येक वार्ड से व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन (सीधे वोटिंग) द्वारा चुने जाएंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा वार्डों की संख्या तय की जाएगी, जो **कम से कम 13** होगी।

(क) विशेष प्रतिनिधित्व:

1. **राजस्थान विधानसभा के सदस्य**:
   नगरपालिका के क्षेत्र को कवर करने वाले विधानसभा क्षेत्र का विधायक, नगरपालिका बोर्ड, परिषद या निगम में सदस्य होगा।
2. **विशेष ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्ति**:
   - राज्य सरकार तीन व्यक्तियों या निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 10% (जो भी कम हो) को नामित कर सकती है।
   - ये नामित सदस्य नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होंगे।
   - नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
   - राज्य सरकार किसी नामित सदस्य को कभी भी हटा सकती है।

(ख) लोकसभा के सदस्य:

- नगरपालिका क्षेत्र को कवर करने वाले लोकसभा क्षेत्र का सांसद नगर परिषद या निगम में सदस्य होगा।
  - उन्हें परिषद/निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा।
- **जनगणना के आधार पर पुनः निर्धारण:**
  - प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका के वार्डों की संख्या को पुनः तय करेगी।
  - लेकिन, जब तक वर्तमान नगरपालिका की अवधि खत्म नहीं होती, तब तक नए बदलाव लागू नहीं होंगे।
- **आरक्षण व्यवस्था:**
  - वार्डों की कुल संख्या में से कुछ स्थान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़े वर्ग (OBC), और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
  - आरक्षण की संख्या क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगी।
- **SC/ST के लिए आरक्षण:**
  - अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों का अनुपात नगर क्षेत्र की SC/ST जनसंख्या और कुल जनसंख्या के अनुपात के समान होगा।
- **OBC के लिए आरक्षण:**
  - OBC के लिए आरक्षण उन क्षेत्रों में होगा जहां SC और ST जनसंख्या का संयुक्त प्रतिशत 50% से कम है।
  - OBC के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या **21% से अधिक नहीं होगी**।
  - अगर SC/ST जनसंख्या का प्रतिशत 70% से कम है, तो कम से कम एक वार्ड OBC के लिए आरक्षित होगा।
- **महिलाओं के लिए आरक्षण:**
  - SC/ST/OBC के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए होंगे।
  - कुल स्थानों का **50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा**।
- **अनुसूचित जाति/जनजाति/OBC आरक्षण की सीमा:**
  - SC/ST/OBC आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत निर्दिष्ट समयसीमा तक ही प्रभावी रहेगा।
- **निर्वाचन प्रक्रिया:**
  - सामान्य और आरक्षित स्थानों को सीधे चुनाव के माध्यम से भरा जाएगा।
  - यह चुनाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होंगे।

नोट:

- यदि आरक्षित स्थानों की संख्या गणना में अधूरी (फ्रैक्शनल) आती है:
  - **आधा या उससे अधिक**: इसे अगले पूरे नंबर तक बढ़ाया जाएगा।
  - **आधे से कम**: इसे अनदेखा कर दिया जाएगा।

धारा: - 7 पदावधि (कार्यकाल):

- **कार्यकाल की अवधि:**
  - किसी नगरपालिका का कार्यकाल उसकी **पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष** तक होगा।
  - यह कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा, लेकिन पहले ही विघटित की गई नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
- **विघटन के बाद का कार्यकाल:**
  - यदि किसी नगरपालिका को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले विघटित कर दिया जाता है और फिर से नई नगरपालिका गठित की जाती है, तो नई नगरपालिका का कार्यकाल केवल उस शेष अवधि तक रहेगा, जो पुरानी नगरपालिका का बचा हुआ था।

नोट:
- "प्रथम बैठक" का मतलब वह बैठक है, जो नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के लिए **सामान्य चुनाव के तुरंत बाद** आयोजित की जाती है।

धारा: - 8 नगरपालिक को शासन का अधिकार:

- नगरपालिक शासन (administration) का अधिकार नगरपालिका में निहित होगा।
- इसका मतलब है कि नगरपालिका का संचालन **नगरपालिका बोर्ड**, **नगर परिषद**, या **नगर निगम** द्वारा उनके अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा।
- इन निकायों के अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रावधानों और तय सीमाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

धारा: - 9 वार्डों में विभाजन:

- **वार्डों की संख्या:**
  - नगरपालिका को चुनावों के उद्देश्य से **कुल स्थानों (seats)** की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा।
  - यह संख्या **धारा 6(1)** के तहत तय की जाती है।
- **वार्ड का प्रतिनिधित्व:**
  - प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर तय होगा।
  - वार्ड का अनुपात (seats-to-population ratio) **यथासंभव समान** होगा।
  - यानी, प्रत्येक वार्ड की सीटें उसकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाएंगी।

धारा: - 10 वार्डों का निर्धारण :

(1) राज्य सरकार का आदेश:

राज्य सरकार निम्नलिखित का निर्धारण आदेश द्वारा करेगी:

- **वार्डों का विभाजन:**
  - प्रत्येक नगरपालिका को चुनाव के लिए वार्डों में विभाजित किया जाएगा।
- **वार्डों की सीमाएं:**
  - प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।
- **आरक्षित स्थानों की संख्या:**
  - अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़े वर्ग (OBC) और उनकी महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या।
- **महिला उम्मीदवारों के लिए वार्ड:**
  - केवल महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या।

(2) आरक्षण का आवंटन:

- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन **चक्रानुक्रम (rotation)** के आधार पर होगा।

(3) वार्डों के निर्धारण में ध्यान रखने योग्य बातें:

राज्य सरकार निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेगी:

- **भौगोलिक एकता:**
  - सभी वार्ड, जहां तक संभव हो, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में समाहित (compact) होंगे।
- **आरक्षित वार्ड का वितरण:**
  - अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड उन क्षेत्रों में होंगे जहां उनकी जनसंख्या अधिक है।
- **वार्ड का क्रम निर्धारण:**
  - वार्डों की गिनती **नगरपालिका के क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी कोने** से शुरू होगी।

(4) प्रारूप का प्रकाशन और आपत्ति का मौका:

- उप-धारा (1) के तहत जारी आदेश का प्रारूप सार्वजनिक किया जाएगा।
- इसमें लोगों को **7 दिनों या अधिक** समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी आपत्तियां या सुझाव दर्ज करा सकें।
- इस प्रारूप की एक प्रति संबंधित नगरपालिका को भी भेजी जाएगी, ताकि वह अपनी टिप्पणी दे सके।

(5) आपत्तियों पर विचार:

- राज्य सरकार उप-धारा (4) के तहत प्राप्त **आपत्तियों और टिप्पणियों** पर विचार करेगी।
- यदि आवश्यक हुआ, तो आदेश के प्रारूप में संशोधन, परिवर्तन, या सुधार किया जाएगा।
- अंतिम आदेश इसके बाद ही जारी होगा।

धारा: - 11 नगरपालिका के लिए निर्वाचन:

- **निर्वाचन का प्रबंधन:**
  - नगरपालिका चुनावों के लिए **निर्वाचक नामावली की तैयारी** और **चुनाव संचालन** का पूरा नियंत्रण **राज्य निर्वाचन आयोग** के अधीन होगा।
- **चुनाव की समय-सीमा:**
  - नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव निम्नलिखित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा:
    1. **धारा 7** के तहत कार्यकाल समाप्त होने से पहले।
    2. विघटन की तारीख से **6 महीने के भीतर**।

- लेकिन, अगर विघटित नगरपालिका का बचा हुआ कार्यकाल **6 महीने से कम** है, तो नए चुनाव कराना जरूरी नहीं होगा।

- **चुनाव की तिथियां:**
  - राज्य सरकार, **राज्य निर्वाचन आयोग** की सिफारिश पर चुनाव की तिथियां तय करेगी।
  - यह तिथियां अधिसूचना के माध्यम से घोषित की जाएंगी।
- **नई नगरपालिका का गठन:**
  - नई नगरपालिका का गठन **सामान्य चुनाव प्रक्रिया** के अनुसार किया जाएगा।
- **कर्मचारियों की नियुक्ति:**
  - राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर, चुनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

धारा: - 12 निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन:

- **राज्य निर्वाचन आयोग** के कर्तव्यों को उसके निर्देशानुसार किसी **उप-निर्वाचन आयुक्त** या **सचिव** द्वारा पूरा किया जा सकता है।

धारा: - 13 वार्डों की निर्वाचक नामावली:

- **निर्वाचक नामावली की तैयारी:**
  - प्रत्येक वार्ड के लिए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)** नामावली तैयार करेगा।
  - यह अधिकारी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामित होगा।
- **नामावली की प्रक्रिया:**
  - निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली को **तैयार, पुनरीक्षित, अद्यतन और प्रकाशित** करेगा।
  - वह इस काम के लिए सहायक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
- **सहायक अधिकारी की नियुक्ति:**
  - राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए **सहायक अधिकारी** नियुक्त कर सकता है।
  - सहायक अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेगा।
- **निर्वाचक नामावली में शामिल होने के पात्रता मानदंड:**
  - **आयु**:
    - व्यक्ति की आयु **18 वर्ष या उससे अधिक** होनी चाहिए।
  - **स्थायी निवास**:
    - व्यक्ति उस वार्ड का **मामूली निवासी** होना चाहिए।

नोट:
- कोई व्यक्ति केवल इसलिए मामूली निवासी नहीं माना जाएगा कि उसके पास उस वार्ड में संपत्ति है।
- अस्थायी अनुपस्थिति से मामूली निवासी का दर्जा नहीं छिनेगा।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ, कैद में रहने वाला, या छात्रावास/होटल में अस्थायी रूप से रहने वाला व्यक्ति मामूली निवासी नहीं माना जाएगा।
- मामूली निवास का निर्धारण मामले के तथ्यों और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा।
- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, जो अपने निर्वाचन के समय वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल था, अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली निवासी बना रहेगा।

  - **अर्हता की तारीख:**
    - **"अर्हता की तारीख"** से मतलब है उस वर्ष का **1 जनवरी**, जिसमें नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाती है।

धारा: - 14 निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं:

- **पंजीकरण के लिए अयोग्यता:**
  - कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो सकता यदि:
    1. वह **भारत का नागरिक नहीं है**।
    2. वह **मानसिक रूप से विकृत** है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
    3. वह चुनावों से संबंधित भ्रष्टाचार या अपराधों के कारण **वोट देने से अयोग्य** है।
- **नाम हटाना:**
  - अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, तो उसका नाम निर्वाचक नामावली से तुरंत हटा दिया जाएगा।
  - लेकिन, यदि अयोग्यता हटाई जाती है, तो उसका नाम फिर से नामावली में शामिल किया जाएगा।

धारा: - 15 मिथ्या घोषणा :

- यदि कोई व्यक्ति नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण, या शुद्धि के दौरान **झूठा बयान या घोषणा** करता है, और उसे झूठे होने का ज्ञान है, तो उसे:
  - **एक वर्ष तक का कारावास**, या
  - **2000 से 5000 रुपये का जुर्माना**, या
  - दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

धारा: - 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer):

- राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा।
- इसके कार्य:
  1. पूरे राज्य में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण का निरीक्षण।
  2. सभी चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण।
  3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य करना।

धारा: - 17 जिला निर्वाचन अधिकारी (District Electoral Officer):

- प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होगा।
- इसके कार्य:
  - अपने जिले में चुनाव संचालन का समन्वय और पर्यवेक्षण।
  - निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का पालन।
- यदि आवश्यक हो, तो एक जिले के लिए **एक से अधिक अधिकारी** नियुक्त किए जा सकते हैं।

धारा: - 18 स्थानीय प्राधिकरण का सहयोग:

- सभी स्थानीय प्राधिकरण और राज्य-नियंत्रित संस्थान निर्वाचन प्रक्रिया के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे।
- यह कर्मचारिवृंद निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण या चुनाव प्रबंधन के लिए होगा।

धारा: - 19 निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में अधिकारी:

- जो अधिकारी और कर्मचारी चुनाव कार्यों के लिए नियुक्त होंगे, उन्हें **राज्य निर्वाचन आयोग** के नियंत्रण में माना जाएगा।
- वे अपनी सेवा अवधि के दौरान आयोग के आदेशों का पालन करेंगे।

धारा: - 20 पदीय कर्तव्यों का भंग (Duty Negligence):

- **कर्तव्य का उल्लंघन:**
  - यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण के अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो उसे:
    - **3 महीने से 2 साल तक का कारावास**, या
    - **1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना**, या
    - दोनों दंड दिए जाएंगे।
- **विधिक कार्यवाही से छूट:**
  - ऐसे कर्तव्य उल्लंघन के लिए किसी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- **अपराध का संज्ञान:**
  - अदालत तब तक किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जब तक राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के तहत शिकायत न की जाए।

धारा: - 21 सदस्य बनने की अर्हता (Eligibility):

कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए तभी पात्र होगा, जब:

- **आरक्षित स्थानों के लिए:**
  - अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित स्थानों पर, व्यक्ति उसी वर्ग का होना चाहिए और संबंधित वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए।
  - महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान पर, व्यक्ति महिला होना चाहिए और संबंधित वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए।
  - SC/ST/OBC की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर, वह महिला और संबंधित वर्ग की सदस्य होनी चाहिए।
- **अनारक्षित स्थानों के लिए:**
  - व्यक्ति संबंधित वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए।
- **आयु सीमा:**
  - व्यक्ति की आयु **21 वर्ष या उससे अधिक** होनी चाहिए।

धारा: - 21क. विशेष आयु-आधारित अर्हता:

कुछ स्थानों पर उम्मीदवार बनने के लिए आयु सीमा **21 से 35 वर्ष** निर्धारित की गई है।

- **सीमाएं**:
  - SC/ST/OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से अधिकतम **दो स्थान** इस नियम के तहत होंगे।
  - जहां इन आरक्षित स्थानों की संख्या तीन या कम हो, वहां केवल एक स्थान इस नियम के तहत होगा।
  - अनारक्षित स्थानों में, यदि संख्या पांच या कम है, तो केवल एक स्थान इस नियम के तहत होगा।
  - यदि अनारक्षित स्थान पांच से अधिक हैं, तो प्रत्येक पांच स्थानों के समूह में से एक स्थान इस नियम के तहत होगा।

धारा: - 22. एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध:

- कोई व्यक्ति **एक ही वार्ड** से चुनाव लड़ सकता है।
- यदि उसने एक से अधिक वार्डों से नामांकन दाखिल किया हो, तो उसे एक वार्ड छोड़कर बाकी सभी से अपना नामांकन **लिखित रूप से वापस लेना होगा**।
- यदि वह समय पर नामांकन वापस नहीं लेता, तो उसे सभी वार्डों से अयोग्य माना जाएगा।

धारा: - 23. प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध:

- **प्रतिबंध:**
  - चुनाव प्रचार के दौरान यानों, ध्वनि विस्तारकों, कटआउट्स, होर्डिंग्स, पोस्टरों, और बैनरों पर राज्य निर्वाचन आयोग उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
- **उल्लंघन का दंड:**
  - उल्लंघन करने पर:
    - **2000 रुपये तक का जुर्माना**।
    - आयोग के आदेश से **6 वर्ष तक अयोग्यता**।
- **निर्णय का अधिकार:**
  - केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी की शिकायत पर ही न्यायालय संज्ञान लेगा।

धारा: - 24. सदस्य की साधारण अयोग्यता:

कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा:

- **आपराधिक दोष:**
  - यदि किसी व्यक्ति को नैतिक अधमता वाले अपराध में या 6 महीने या उससे अधिक की सजा में दोषी ठहराया गया हो।
  - यदि वह किसी विशेष अपराध में दोषी पाया गया हो, जैसे कि धारा 245 के तहत।
- **संज्ञान या अभियोग:**
  - यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध का अभियोग (चार्जशीट) दाखिल हो गया हो और मामला चल रहा हो।
- **खाद्य अपमिश्रण:**
  - यदि वह व्यक्ति खाद्य अपमिश्रण (मिलावट) अधिनियम के तहत दोषी हो।
- **सार्वजनिक व्यवस्था या नौकरी से बर्खास्तगी:**
  - यदि उसे सरकारी सेवा से दुर्व्यवहार के कारण निकाला गया हो।
  - किसी अन्य सार्वजनिक संस्था से हटाया गया हो।
- **व्यापार या संविदा में हिस्सेदारी:**
  - यदि वह नगरपालिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार, संविदा, या अन्य संबंध रखता हो।
- **बकाया या दिवालियापन:**
  - यदि उसके खिलाफ नगरपालिका का कोई बकाया हो जो 2 साल से अधिक लंबित है।
  - यदि वह दिवालिया घोषित हो चुका हो।
- **दो से अधिक संतानों का नियम:**
  - यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं (कुछ विशेष छूट के साथ)।

नोट -

- **एकल प्रसव (Single Birth):**
  - यदि किसी महिला ने एक बार के प्रसव (जन्म) में जुड़वां या उससे अधिक बच्चों को जन्म दिया है, तो उन सभी को **एक ही संतान** के रूप में गिना जाएगा।
  - उदाहरण: यदि एक बार में तीन बच्चे (जुड़वां/तीन जुड़वां) हुए, तो यह एक ही संतान माना जाएगा, न कि तीन।
- **दत्तक संतान (Adopted Child):**
  - यदि किसी व्यक्ति ने कोई बच्चा गोद लिया है, तो उस बच्चे को भी कुल संतानों की गिनती में शामिल किया जाएगा।
  - गोद लिए हुए बच्चे को "अपवर्जित" (Excluded) नहीं किया जाएगा।

- **मानसिक या शारीरिक अयोग्यता:**
  - यदि उसे मानसिक रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया हो।
- **विधि व्यवसायी:**
  - यदि वह व्यक्ति उस नगरपालिका का वकील या विधि व्यवसायी है।

छूट या विशेष नियम:

- कई स्थितियों में अयोग्यता एक समय सीमा के बाद समाप्त हो जाती है, जैसे कि कारावास की समाप्ति के 6 वर्ष बाद।
- यदि 27 नवंबर, 1995 से पहले 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वह इस नियम के तहत अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- विशेष प्रकार के व्यावसायिक संबंधों में, जैसे डिबेंचर या छोटी राशि के सौदों में, व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

धारा 25: मतदान का अधिकार

- **मतदान का हकदार कौन?**
  - प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम वार्ड की निर्वाचक सूची में दर्ज है, उस वार्ड में मतदान कर सकता है।
- **एक से अधिक वार्ड में मतदान का नियम:**
  - कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में मतदान नहीं कर सकता। यदि करता है, तो उसके सभी मत **शून्य** माने जाएंगे।
- **एक वार्ड में एक से अधिक बार मत:**
  - यदि कोई व्यक्ति एक ही वार्ड में कई बार मतदान करता है, तो उसके सभी मत **शून्य** हो जाएंगे, भले ही उसका नाम सूची में एक से अधिक बार हो।
- **कैद या पुलिस अभिरक्षा:**
  - यदि कोई व्यक्ति जेल में है या पुलिस की हिरासत में है, तो वह मतदान नहीं कर सकता।
  - **परंतु:** निवारक निरोध (Preventive Detention) के तहत बंद व्यक्ति इस नियम से बाहर है और मतदान कर सकता है।

34 CHAPTER नगरपालिक संपत्ति (धारा: 67-75)

धारा 67. संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति:

नगरपालिका, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर, **दान, क्रय या अन्य माध्यमों से जंगम और स्थावर संपत्तियां** या उनमें किसी प्रकार का हित अर्जित और धारण कर सकती है।

धारा 68. संपत्ति का निहित होना:

- **नगरपालिका में संपत्ति का अधिकार:**
  - इस धारा के अनुसार, समस्त संपत्ति, जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई है, नगरपालिका में निहित होगी। इस संपत्ति का प्रबंधन, नियंत्रण और उपयोग नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न्यासी के रूप में किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित संपत्तियां सम्मिलित होंगी:
    - **सार्वजनिक भूमि:** नगर क्षेत्र की समस्त निहित भूमि
    - **सार्वजनिक संरचनाएं:** बाजार, वधशालाएं, खाद के डिपो, और सार्वजनिक भवन
    - **जल स्रोत:** तालाब, जलाशय, कुएं, पाइप और पम्प
    - **सार्वजनिक मार्ग और पटरियां:** सड़कों की सामग्री, वृक्ष और अन्य वस्तुएं
    - **उद्यान और सार्वजनिक स्थान:** सार्वजनिक उद्यान, बाग, चौक, और खुली जगहें
    - **सरकारी भूमि और भवन:** राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट भूमि और दान में दी गई निजी संपत्तियां
    - **ठोस अपशिष्ट और आवारा जानवर**
- **भूमि की पुनर्ग्रहण शक्ति:**
  - राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका में निहित किसी भूमि को कुप्रबंधन या लोकहित में आवश्यकता पड़ने पर पुनर्ग्रहण कर सकती है।

धारा 69. संपत्ति का अर्जन:

- **नगरपालिका का अधिकार:**
  - राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, नगरपालिका करार, विनिमय, या पट्टे के माध्यम से संपत्ति अर्जित कर सकती है।
- **दान और समर्पण:**
  - नगरपालिका दानदाता से जंगम या स्थावर संपत्ति के रूप में कोई अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद मिले।
- **न्यासी के रूप में अधिकार:**
  - नगरपालिका धार्मिक या पूर्त न्यासों का हितग्राही हो सकती है, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में प्रावधान है।

धारा 70. भूमि का अनिवार्य अर्जन:

यदि किसी भूमि या भूमि में अधिकार की आवश्यकता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए होती है, तो राज्य सरकार **भूमि अर्जन अधिनियम, 1894** के तहत नगर निगम के अनुरोध पर उस भूमि का अधिग्रहण करेगी। मुआवजा और अन्य खर्च नगर निगम द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, वह भूमि या अधिकार नगर निगम में निहित हो जाएगा।

धारा 71. भूमि का आबंटन और नियमन:

- **आबंटन का प्रावधान:**
  - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख के अंतर्गत प्राप्त भूमि को, नगरपालिका द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार, पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया जा सकता है।

  शर्तें:
  - सार्वजनिक उपयोगिताओं (जैसे उद्यान, स्कूल, अस्पताल, सड़कें) के लिए आरक्षित भूमि का आबंटन नहीं किया जाएगा।
  - राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भूमि की बिक्री या आबंटन को सार्वजनिक हित में सुरक्षित रखा जाएगा।
- **राजस्व का प्रावधान:**
  - इस प्रक्रिया से वसूला गया राजस्व, राज्य की संचित निधि और नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

धारा 72. संकर्मों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और संदाय:

- **राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी:**
  - धारा 82 के प्रावधानों के बावजूद, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी संकर्म के निष्पादन के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो वह, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण के अंतर्गत, संकर्म के लिए निर्धारित राशि की सीमा तक संविदाएं कर सकेगा।
- **संदाय की व्यवस्था:**
  - इस प्रयोजन के लिए आवश्यक राशियों का भुगतान नगरपालिका द्वारा उस अधिकारी को किया जाएगा।

धारा 73. संपत्ति के अंतरण और संविदाओं से संबंधित प्रावधान:

- **नगरपालिका का अधिकार:**
  - नगरपालिका अपनी जंगम या स्थावर संपत्तियों (जिसमें नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि भी सम्मिलित है) को पट्टे पर देने, विक्रय करने, आबंटित करने या अन्यथा अंतरण करने की शक्ति रखती है।
  - यह अधिकार **निर्धारित शर्तों और नियमों** के अधीन होगा।
- **शर्तें और सीमाएं:**
  - कोई भी पट्टा, विक्रय, आबंटन या अंतरण तब तक वैध नहीं होगा जब तक यह अधिनियम और इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार न हो।
  - सरकारी भूमि से संबंधित कोई भी लेनदेन तभी वैध होगा, जब इसे **विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि** की गई हो।

नोट: "सरकारी भूमि" का अर्थ
इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सरकारी भूमि" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

1. **धारा 68 (1) (ज) के तहत निहित भूमि:**
   वह भूमि जो धारा 68 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अंतर्गत **नगरपालिका में निहित** हो गई हो।
2. **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नजूल भूमि:**
   वह भूमि जो **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956** की धारा 3 में **नजूल भूमि** के रूप में परिभाषित है।
3. **राज्य सरकार द्वारा व्ययनाधीन भूमि:**
   वह भूमि जो राज्य सरकार द्वारा **नगरपालिका के उपयोग और प्रबंधन** के लिए व्ययनाधीन रखी गई हो।

- **राज्य सरकार की शक्तियां:**
  - राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी, यदि किसी नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित पट्टे, विक्रय, या आबंटन में किसी प्रकार की अनियमितता पाए, तो वह इस प्रस्ताव को रद्द, संशोधित, या निरस्त कर सकता है।
  - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है और भूमि से संबंधित आवश्यक निर्देश दे सकती है।
- **अनधिकृत कब्जे का प्रावधान:**
  - यदि कोई व्यक्ति, नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि पर, अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है, तो उसे **अनधिकृत अधिभोगी** माना जाएगा।
  - ऐसे मामलों में, उसे राजस्थान लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत बेदखल किया जाएगा।
- **वसूली:**
  - यदि पट्टा, विक्रय, या आबंटन की पुष्टि नहीं की गई हो, तो नगरपालिका या उसके अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिफल भूमि से बेदखल किए गए व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

धारा 74. स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र:

- **संपत्तियों का रिकॉर्ड:**
  - नगरपालिका अपनी स्थावर संपत्तियों की एक तालिका और मानचित्र संधारित करेगी, जिनमें वह संपत्तियां सम्मिलित होंगी जो उससे संबंधित हैं या उसके अधिकार में हैं।
- **रिपोर्ट का संधारण:**
  - मुख्य नगरपालिक अधिकारी, तालिका में हुए परिवर्तनों का विवरण तैयार करेगा और इसे नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
    - इसकी प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय को भी भेजी जाएगी।

धारा 75. नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का प्रबंधन:

- **संपत्तियों का अद्यतन रिकॉर्ड:**
  - नगरपालिका, अन्य संबंधित विभागों या प्राधिकरणों के सहयोग से, समस्त संपत्तियों का अद्यतन और व्यवस्थित अभिलेख तैयार और संधारित करेगी।
    - यह कार्य **निर्धारित विधि और प्रक्रिया** के अनुसार किया जाएगा।

35 CHAPTER नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि (धारा: 76-89)

धारा 76. राज्य वित्त आयोग:

- **राज्य वित्त आयोग की भूमिका:**
  - राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों पर **राज्यपाल को सिफारिशें** देगा:
    - राज्य और नगरपालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण।
    - करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का उपयोग या विनियोजन।
    - राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को दी जाने वाली सहायता-अनुदान।
    - नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय।
    - अन्य विषय जो नगरपालिकाओं की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए आवश्यक हों।
- **सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण:**
  - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ कार्रवाई का स्पष्टीकरण राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

धारा 77. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन:

राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य करेगी:

- नगरपालिकाओं को करों, शुल्कों और पथकरों के शुद्ध आगमों का वितरण।
- नगरपालिकाओं को करों और शुल्कों का उपयोग करने का निर्देश।
- संचित निधि से नगरपालिकाओं के लिए सहायता-अनुदान की स्वीकृति।
- नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अन्य उपाय।

धारा 78. राज्य सरकार से वित्तीय सहायता:

- **वित्तीय सहायता और अनुदान:**
  - राज्य सरकार नगरपालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता, निर्देशों के साथ या बिना, प्रदान कर सकती है।
- **स्कीम का प्रावधान:**
  - राज्य सरकार एक स्कीम तैयार कर सकती है, जिसमें अनुदान देने की शर्तें और नगरपालिकाओं के वर्गीकरण का प्रावधान होगा।
- **विकास योजना के लिए सहायता:**
  - नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना के तहत किसी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अनुदान प्रदान किया जा सकता है।

धारा 79. नगरपालिक निधि:

- **निधि का स्वरूप:**
  - एक **"नगरपालिक निधि"** होगी, जिसमें वसूल किए गए या वसूलने योग्य धन और नगरपालिका द्वारा प्राप्त धन जमा किया जाएगा।
- **प्राप्तियों और व्यय का वर्गीकरण:**
  - राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, प्राप्तियां और व्यय अलग-अलग लेखा शीर्षों जैसे जल-निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क रखरखाव, वाणिज्यिक परियोजनाएं, आदि में वर्गीकृत किए जाएंगे।
- **लेखा शीर्षों का विभाजन:**
  - प्रत्येक लेखा शीर्ष को **राजस्व लेखा** और **पूंजी लेखा** में विभाजित किया जाएगा, ताकि प्राप्तियों और व्ययों को उचित तरीके से दर्ज किया जा सके।

धारा 80. नगरपालिक निधि का उपयोग:

नगरपालिक निधि का उपयोग केवल इस अधिनियम और इसके तहत बने नियमों और उप-विधियों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यों, लागतों और भुगतान के लिए किया जाएगा।

धारा 81. बिना बजट स्वीकृति के निधि से खर्च नहीं:

- **बजट में शामिल व्यय ही अनुमत:**
  - नगरपालिक निधि से कोई व्यय तभी किया जाएगा जब वह चालू बजट अनुदान में समाविष्ट हो और बजट में उसके लिए पर्याप्त प्रावधान हो।
- **अपवाद:**
  - निम्नलिखित मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा:
    - (i) करों और अन्य धन की वापसी
    - (ii) भूलवश वसूल की गई धनराशि का प्रतिपूर्ति
    - (iii) आपातकालीन परिस्थितियों में लोकहित में अस्थायी व्यय
    - (iv) खतरनाक बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं, या अन्य आपात स्थितियों के लिए विशेष व्यय
    - (v) प्रतिकर या दंड के रूप में देय राशि
      - राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्य
      - न्यायालय के आदेशों या समझौतों के तहत देय राशि
      - तत्काल कार्रवाई में नगरपालिक संपत्ति या मानव जीवन की सुरक्षा के लिए व्यय
    - (vi) अन्य मामले जो उप-विधियों द्वारा निर्दिष्ट हों।

धारा 82. लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए नगरपालिक निधि में से अस्थायी व्यय:

- **राज्य सरकार की अपेक्षा:**
  - राज्य सरकार द्वारा लिखित निर्देश पर, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, लोकहित में तत्काल आवश्यक किसी कार्य के निष्पादन के लिए, नगरपालिक निधि से व्यय कर सकता है, बशर्ते यह व्यय नियमित कार्य में बाधा डाले बिना किया जा सके।
- **लागत की प्रतिपूर्ति:**
  - ऐसे कार्यों की लागत और उनके निष्पादन के लिए संबंधित स्थापन शुल्क राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा और यह धन नगरपालिक निधि में वापस जमा किया जाएगा।

धारा 83. नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय:

नगरपालिका, राज्य सरकार की स्वीकृति से, अपने मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक संपत्तियों के सृजन और रख-रखाव के लिए, नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर भी व्यय कर सकती है।

धारा 84. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि का उपयोग:

- **निधि का विशिष्ट उपयोग:**
  - राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नगरपालिक निधि के किसी विशिष्ट भाग, अनुदान, लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त राशि या अन्य करों, शुल्कों, और जुर्मानों के अंश को, किसी विशेष प्रयोजन के लिए चिह्नित कर सकती है। यह नगरपालिका का दायित्व होगा कि वह इसे केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करे।
- **विभिन्न नगरपालिकाओं के लिए नियम:**
  - राज्य सरकार, विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं के लिए उपयुक्त नियम बना सकती है।

धारा 85. लेखा संचालन:

नगरपालिक निधि से व्यय, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

धारा 86. अधिशेष धन का प्रबंधन:

- **अधिशेष धन का उपयोग:**
  - नगरपालिक निधि में किसी लेखा शीर्ष के अधिशेष धन को, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, अन्य शीर्षों में पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।

    शर्त: वाणिज्यिक परियोजना लेखा का अधिशेष धन सामान्य निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- **निवेश का प्रावधान:**
  - अप्रयुक्त अधिशेष धन को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों, लघु बचत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है या अनुसूचित बैंक में ब्याज पर जमा किया जा सकता है।
- **लाभ और हानि का प्रबंधन:**
  - निवेश से होने वाले लाभ या हानि संबंधित खाते में दर्ज किए जाएंगे।

धारा 87. बजट प्राक्कलन की तैयारी:

- **वार्षिक बजट:**
  - मुख्य नगरपालिक अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा।
    - प्राक्कलन में आय और व्यय का विवरण होगा।
    - इसे वित्त समिति द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- **बजट में प्रस्ताव:**
  - बजट में निम्नलिखित प्रस्ताव बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के शामिल नहीं होंगे:
    - नए पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना
    - नए वाहन खरीदना
    - स्थावर संपत्ति खरीदना
    - निजी संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना
    - अन्य ऐसे मामले जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे
- **बजट की स्वीकृति:**
  - अध्यक्ष इसे 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा, और इसे 15 फरवरी तक नगरपालिका द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

धारा 88. बजट प्राक्कलन की स्वीकृति:

- नगरपालिका 15 फरवरी तक बजट पर विचार करेगी और आवश्यक संशोधनों के साथ इसे स्वीकार करेगी।
- बजट की प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
- यदि राज्य सरकार को लगे कि बजट में बदलाव की आवश्यकता है, तो वह निर्देश दे सकेगी, जो बाध्यकारी होंगे।

धारा 89. बजट अनुदान में संशोधन:

नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष में:

1. बजट अनुदान की राशि बढ़ा सकती है।
2. किसी विशेष आवश्यकता के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर सकती है।
3. किसी शीर्ष की राशि को दूसरे शीर्ष में स्थानांतरित कर सकती है।
4. किसी शीर्ष की राशि को घटा सकती है।

शर्त: यह सब वित्त समिति की सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा।